ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in May 2025

इस्लाम धर्म में तीन तलाक की वर्तमान अवधारणा: 2019 के अधिनियम की समीक्षा

प्रीति द्विवेदी, शोध–छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0
ई–मेल– priti244.dwivedi@gmail.com

भारत देश अनेक धर्मों का देश है जिनमें प्रमुख धर्म हिन्दू और मुस्लिम है। भारत वर्ष में अनेक धर्मों एवं संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। प्रमुख रूप से यहाँ हिन्दू धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। मुसलमान संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आते हैं। सन् 2020 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 15.31 प्रतिशत (लगभग–21.12 करोड़) है। इतिहास के कालक्रम में इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में इस्लाम 630 ई0 में आया था।

630 ई0 में इस्लाम का आगमन भारत में हुआ। इतिहासकार '**इलियट और डाउसन**' की पुस्तक **'द हिस्टरी ऑफ इण्डिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस**' के अनुसार भारतीय तट पर 630 ई0 में मुस्लिम यात्री से भरे जहाज को देखा गया था। इसी प्रकार **पारा रौलिंसन** अपनी पुस्तक **'एसियंट एण्ड मिडियावल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया'** में यह दावा करते हैं कि सातवीं सदी के अन्त में प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बसे थे।

इतिहास के घटनाक्रम से प्रमाणित होता है कि अनेक मुस्लिम आक्रान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया। शायद इसका कारण यह था कि प्राचीन काल से भारत के संदर्भ में एक कहावत प्रचलित थीं– 'भारत सोने की चिड़िया है।' इसी आकर्षण में आठवीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रान्त पर आक्रमण किया। जिसमें सिंध के राजा दाहिर की पराजय हुई। इसके बाद 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, 12वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किया। इसके बाद 1200ई0 में गुलाम वंश की स्थापना हुई।

सूफी सत्तों ने भी इस्लाम के प्रचार–प्रसार में विशेष भूमिका निभायी है। इनमें प्रमुख सत्त मुईन–उद–द्वीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा, कुतुबुद्दीन बख़्तियार, शाह जलाल, निजाम–उद–द्वीन औलिया, आमिर खुसरों आदि की भी दर्शन प्रणाली भारतीय दर्शन के समान थीं।

1947 ई0 में भारत की आजादी के बाद मुसलमान भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुए। वर्तमान समय में विश्व की कुल मुस्लिममम आबादी में भारत (21.12 करोड़) के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि पाकिस्तान जनसंख्या की दृष्टि से (18.25 करोड़) के साथ तीसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इण्डोनेशिया है।

सन् 2011 की जनगणना के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि मुसलमानों की कुल जनसंख्या का 47 प्रतिशत भाग तीन राज्यों में निवास करता है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश (4.07 करोड़) पश्चिम बंगाल (3.02 करोड़) तथा बिहार (1.37 करोड़) में स्थित है।

मुस्लिम समुदाय में भी दो वर्ग हैं– शिया और सुन्नी। विश्व में लगभग 90 प्रतिशत मुसलमान सुन्नी तथा शेष 10 प्रतिशत शिया है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अधिकांश मध्यपूर्व में सुन्नियों की संख्या अधिक है। भारत वर्ष में भी सुन्नियों की संख्या शिया सम्प्रदाय से अधिक है।

सुन्नी सम्प्रदाय के भी चार भाग हैं– मलिकी, शफी, हनफी और हन्बाली। सुन्नियों का एक वर्ग (विशेष रूप से हनफी, जिनकी संख्या भारत में 90 प्रतिशत) उमर खलीफा का अनुसरण करता है और शिया सम्प्रदाय पैगम्बर मुहम्मद साहब के कानूनों को मान्यता देता है। इस कारण तलाक–ए–विद्दत का प्रचलन सुन्नी सम्प्रदाय में विशेष रूप से है।

मुगलशासन में भी हनफी की संख्या अधिक थीं। भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मुगलों का शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था। इस तरह से यदि देखा जाये तो मुगलकाल में भी तीन तलाक की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हालांकि इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परन्तु बादशाहों के चन्द फरमानों और प्रशासकीय रिकार्डों से इसकी पुष्टि की जाती है। परन्तु मुगलकाल में तलाक देने की एक अलग प्रक्रिया होती थी, जिससे कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

कुरान में महिला एवं पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कुरान कहता है– '**हमने महिला और पुरुष को एक समान आत्मा दी है, दोनों की महत्ता एक समान है।**'

मैरी डेवी ने कहा है– ''**हम लोग एक महिला विरोधी समाज में रह रहे हैं, जिसमें पुरुष सामूहिक रूप में महिलाओं का शोषण करते हैं।**''

डेवी का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सदियों में महिलाओं को शोषित किया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी महिला होने के नाम पर। महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता में पुरुषों के समान अधिकार अब तक नहीं मिले।

उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को लिया जा सकता है जिसमें सभी स्त्री एवं पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है लेकिन आज भी व्यावहारिक रूप में स्त्रियों को पर्याप्त रूप से समानता प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में भी स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में जो समानता व स्वतंत्रता दी गई है वह पुरुषों की तुलना में कम है, धर्म चाहे कोई भी है, पितृसत्तात्तम विचार महिलाओं के लिए आज भी वही है। महिलाओं को आज भी अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कभी समाज से तो कभी कानून से संघर्ष करने पड़ रहे हैं। अनेकों दार्शनिकों तथा विद्वानों ने अपने लेखों तथा वक्तव्यों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द के वक्तव्यों को लिया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा है– ''**किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम मापदण्ड है उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति।**''

प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस समय में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था लेकिन समय के साथ ही महिलाओं की स्थिति में ही परिवर्तन आता गया। अब महिलाओं के प्रति लोगों का नजरियों बदलने लगा। हर धर्म की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार पाने में वर्षों लग गए।

उदाहरण के लिए हिन्दू धर्म में सती प्रथा को खत्म करने में कई वर्ष लग गए। राजा राम मोहन राय सती प्रथा की क्रुरता से बाल्यावस्था से ही परिचित थे, जब उनके सामने बड़े भाई की विधवा को उनके आँख के सामने बलपूर्वक सती कर दिया गया था। चूँकि अंग्रेज इस सती प्रथा को गलत मानते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर वह इस प्रथा के बारे में कुछ भी फैसला करेंगे, तो देश में अशान्ति फैल जाएगी और यह अशान्ति उनके शासन के लिए खतरा बन जाती जो अभी जो अभी पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके विपरीत जागरूकता फैलायी गई तथा आन्दोलन भी हुए। उन आन्दोलनकारियों को बहिष्कृत भी कर दिया गया परन्तु वह अपना विरोध करना नहीं छोड़े। इसी के परिणामस्वरूप 1828 ई0 में सत्ती प्रथा को खत्म कर दिया गया।

मुस्लिम औरतों को भी लैंगिक समानता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है विशेष तौर पर हिन्दुस्तान में महिलाओं के लिए विशेष परिवर्तन नहीं आया है। मुस्लिम समाज में महिला सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा धार्मिक उपदेशों की गलत व्याख्या या काजी, मुल्लाओं द्वारा कुरान के आयतों को अपनी समझ के अनुसार व्याख्या करना है। दूसरे धर्मों की अपेक्षा मुस्लिम महिलाएं पुरुष वर्ग से बहुत पीछे हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति बहुत कमजोर है। इन्हें अनेक क्षेत्रों में प्रतिबन्धित किया गया है। यह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी स्वतंत्र नहीं रह सकती है।

आर्थिक स्थिति :

मुस्लिम औरतों की अन्य धर्म, वर्ग की अपेक्षा इनकी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है। इन्हें आज भी पूरी तरह से आर्थिक आजादी प्राप्त नहीं हुई है। बहुत कम ही मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर नौकरी के लिए निकल पाती हैं। पुरुष वर्ग आज भी इन्हें चहारदीवारी के भीतर ही रखना चाहता है और वे घर में ही छोटे–मोटे रोजगार जैसे– सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आदि अनेक ऐसे कार्य करती हैं लेकिन इस रोजगार में इनकी आमदनी इतनी नहीं होती जिससे इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ये स्थितियाँ इन्हें हमेशा परतंत्रता का एहसास कराती हैं।

शैक्षिक स्थिति

पूरे विश्व में देखा जाए तो स्त्री शिक्षा हमेशा पुरुषों के बाद ही आती है। भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री शिक्षा को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसी वजह से कुछ चिंतकों ने स्त्रियों को उपनिवेश तक की संज्ञा दे दी है। मुस्लिम समाज और परिवार भी पितृसत्तामक है इसी कारण मुस्लिम परिवार में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। महान दार्शनिक रूसो स्वयं स्त्री शिक्षा को आवश्यक नहीं मानता था। वह स्त्री शिक्षा को घर तक ही सीमित करता था तथा पुरुषों के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता था। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्थिति और भी भयावाह है।

आज भी समाज में स्त्री की स्थिति पुरुष के सहायक के रूप में नहीं बनी है। इसे हमेशा एक उपभोग की वस्तु के रूप में पहचाना गया। किसी भी देश का विकास उसकी सम्पूर्ण मानव क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और स्त्रियाँ विश्व की आधी आबादी है यदि यह आबादी विकसित नहीं हुई तो आधी मानवीय

क्षमता व्यर्थ चली जाएगी। मुस्लिम समाज अपनी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण स्त्री शिक्षा में और भी पीछे रह गया है। यदि हम कुरान और हदीस की बात करें तो इसमें कई ऐसी आयते हैं जिनमें स्त्री और पुरूष को समान अधिकार दिया गया है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हदीस की आयत है, जिसमें शिक्षा के महत्व को इस प्रकार बताया गया है– **"तलबुल इल्म फरीजतुन अलाकुल्ली अल मुस्लिम व मुस्लिमा।"** इस आयत के माध्यम से हजरत मुहम्मद साहब ने बताया है कि तालीम हर मर्द और औरत के लिए निहायत जरूरी है।

मुसलमानों के महान नेता **सर सैय्यद अहमद खान** मुस्लिम नौजवानों की आधुनिक शिक्षा के लिए खून पसीना एक कर दिए थे लेकिन स्त्रियों के लिए कुरान और घरेलू शिक्षा को ही पर्याप्त समझते थे, उनका कहना था– **'मेरी ख्वाहिश नहीं कि तुम उन पवित्र किताबों के बदले, जो तुम्हारी दादियाँ और नानियाँ पढ़ती आयी हैं, इस जमाने की प्रचलित अशुभ किताबों को पढ़ने की ओर उन्मुख है।**

'सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की' की **'भारत की अल्पसंख्यक नीति और देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन'** विषय पर रिपोर्ट 2011 के जनगणना के आँकड़ों के आधार पर कहा गया है कि हिन्दुओं में निरक्षरों की संख्या 36.39 प्रतिशत है, जिसमें 44 प्रतिशत महिलाएँ और 29. 22 प्रतिशत पुरूष सम्मिलित हैं। मुसलमानों में 42.72 प्रतिशत निरक्षर हैं, जिनमें 48.1 प्रतिशत महिलाएँ और 37.59 प्रतिशत पुरूष सम्मिलित हैं। ईसाइयों में 25.65 प्रतिशत निरक्षर हैं, जिनमें 28.03 प्रतिशत महिलाएं और 23.22 प्रतिशत पुरूष सम्मिलित हैं। सिखों में 32.49 प्रतिशत निरक्षर है, जिसमें 36.71 प्रतिशत महिलाएं एवं 28.68 प्रतिशत पुरूष हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 प्रतिशत से भी कम मुस्लिम महिलाएँ साक्षर हैं। शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं की हाजिरी 3.56 प्रतिशत है, जो कि अनुसूचित जातियों के अनुपात 4.25 प्रतिशत से भी कम है।

भारत में मुस्लिम महिलाओं की आबादी 62.5 लाख से भी अधिक है। कुल मुस्लिम महिलाओं में से 60 प्रतिशत ने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। लगभग 17 प्रतिशत से कम मुस्लिम महिलाओं ने आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी की और 10 प्रतिशत से भी कम ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। मुस्लिम महिलाओं की निरक्षरता का अनुपात ग्रामीण उत्तर भारत में काफी अधिक है। हरियाणा में अशिक्षा का स्तर ज्यादा है, जबकि केरल व तमिलनाडु में बेहतर है। मुस्लिम महिलाओं को अपने अस्तित्व को लेकर अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका **रजिया सुल्तान (1236–1240 ई0)** को भी अपने समय में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था, परन्तु वह कभी अपने पथ से विचलित नहीं हुई और समय–समय पर अपने साहस का परिचय भी दिया था। इस्लाम में इनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने की और चहारदीवारी से बाहर निकलकर रोजगार करने में कोई मनाही नहीं है। इसे कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं ने जटिल स्वरूप दे दिया है।

सामाजिक स्थिति

तीन तलाक वर्तमान समय में एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे समक्ष हैं। आज के प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु मानकर इलेक्ट्रॉनिक मेल, सोशल मीडिया एवं मौखिक रूप से तीन तलाक दे दिया जा रहा है। इससे यह परिलक्षित होता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी हम न्याय की परिभाषा को सामाजिक रूप नहीं दे पाये हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में चाहे वह स्त्री हो या पुरूष दोनों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता तथा समानता देने के उद्देश्य से **17 अगस्त 2017** को तीन तलाक को अवैध ठहराया था और संसद को इस विषय पर कानून बनाने का आदेश भी दिया, जिसे **'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम'**, **2019** को मान्यता दी गई।

पहली बार तीन तलाक का केस राजीव गाँधी की सरकार में (1985) में आया था जिसे शाहबानों केस के नाम से भी जाना जाता है, तब से लेकर आज तक अनेक महिलाओं ने इस प्रथा को लेकर विरोध जताया था, लेकिन जो केस सबसे जटिल था वह था सायरा बानो का केस (2016)। सायरा बानो ने जिस प्रकार से गरीबी, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आज भी बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, भोपाल की बेग़म, अरूणा आसिफ अली, जैसी महिलाएँ विद्यमान है क्योंकि इन महान महिलाओं ने पितृसत्ता को चुनौती दी एवं स्वयं की सार्थकता का परिचय दिया। इसी तरह आज भी अगर भारतीय समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिले तो प्रत्येक क्षेत्र में यह अपना विशिष्ट योगदान दे सकती है।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in May 2025

मुस्लिम देषों में तलाक की व्यवस्था

मुस्लिम देश, जिनमें पाकिस्तान तथा भारत भी शामिल है, अपने देश में अप्रत्यक्ष रूप से या सीधे–सीधे तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म कर दिए हैं। श्रीलंका में तीन तलाक का कानून एक आदर्श है, जिसे अन्य देश को इससे प्रेरणा मिलती है। तुर्की और साइप्रस ने भी धर्मनिरपेक्ष कानूनो को अपना लिया है। ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मलेशिया में कानून के बाहर किसी तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है।

1929 ई0 में मिस्र ने तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म कर दिया ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला मुस्लिम देश था जिसके बाद 1935 में **सूडान** ने भी कुछ प्रावधानों के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया है। ज्यादातर मुस्लिम देशों ने जिनमें ईराक से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, कतर और इण्डोनेशिया ने भी तीन तलाक के प्रावधान को खत्म कर दिया है।

भारत में तलाक एवं महिलाओं की स्थिति

'तलाक' शब्द एक अरबी आयत से निकला है, जिसका अर्थ है **''बंधन से आजाद करना या खोलना।''** तलाक के बारे में कुरान का सन्देश स्पष्ट है क्योंकि यह शादी को अचानक खत्म करने के बजाय उसे बचाने के बारे में है। कुरान के **सुराह बकराह की आयतों 229 और 230 में घोषणा करता है कि–** ''तलाक का ऐलान दो तरीके से होता है या तो बीबी को सम्मानपूर्ण ढ़ंग से रखा जाए या सहूलियत से छोड़ दिया जाए फिर अगर वह उसे तलाक देता है, तो वह उसके प्रति तब तक वैध रूप से नहीं जुड़ सकती है, जबकि वह किसी अन्य शख्स को पति ना बना ले।''

कुरान में तलाक प्रक्रिया की समय अवधि स्पष्ट रूप से बताई गई है। खत लिखकर, टेलीफोन, मैसेज या एक तरफा जुबानी या अनौपचारिक रूप से लिखित तलाक की इजाजत इस्लाम कतई नहीं देता है। एक ही बैठक में या एक ही वक्त में तलाक देना गैर–इस्लामी है। कुरान शरीफ में अध्याय 2, के 65वें आयत में तलाक के बारे में वर्णन है। **तीन तलाक के कई प्रकार हैं।** पुरूषों की तरफ से की गई पहल को तलाक कहते हैं।

आयत 229 में ''अल तलाकु मर्रतन'' की अभिव्यक्ति का अर्थ है कि तलाक की घोषणा दो बार की जा सकती है। **मर्रतन (दो बार)** में दो बार की घोषणाओं के बीच फासला निहित है, जिसका मतलब है कि तलाक की घोषणा के बीच पर्याप्त फासला होना चाहिए।

तीन तलाक के प्रकार

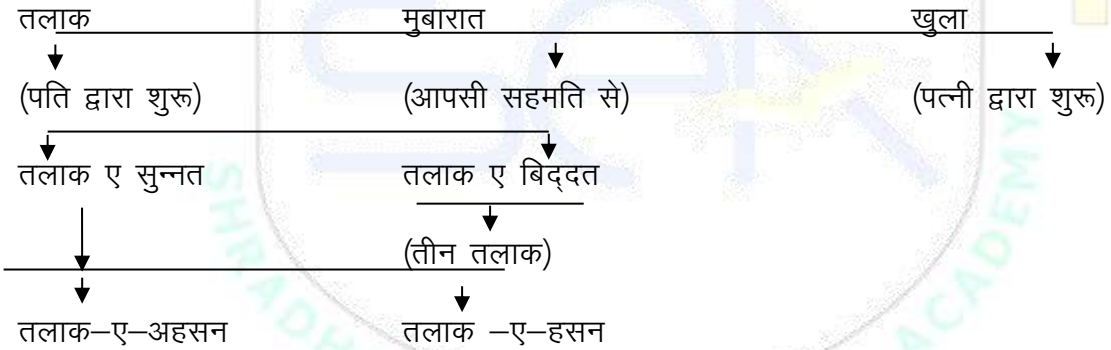

इस्लाम धर्म में एक व्यक्ति को तीन प्रकार के तलाक की सुविधा देता है **इला (ब्रम्हचर्य के शपथ के कारण तलाक), जिहर (अप्राकृतिक या अस्वाभाविक तुलना के कारण तलाक) और सर्वाधिक लोकप्रिय तलाक।''** तलाक भी दो प्रकार का है– **तलाक–ए–सुन्नत और तलाक–ए–बिद्दत।** तलाक–ए–सुन्नत को पैगम्बर की मंजूरी प्राप्त है जबकि तलाक–ए–बिद्दत को तलाक की नई ईज़ाद की गई विधि माना जाता है। तलाक ए–सुन्नत के अन्तर्गत भी बीबी को दो प्रकार से तलाक दिया जाता है– तलाक – ए – अहसान, तलाक का सबसे पसन्दीदा तरीका है और तलाक–ए–हसन दूसरा सबसे स्वीकार्य तरीका है। इन दोनों ही तरीकों को पैगम्बर की स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु इनके बीच बारीक फर्क है।

तलाक–ए– अहसान के तहत, शौहर अपनी बीबी की साफ अवधि के दौरान, बगैर शारीरिक सम्बन्ध बनाएँ केवल एक बार तलाक की घोषणा करता है। तलाक की घोषणा के उपरान्त, बीवी तीन महीने के इंतजार–काल में पति के साथ ही रहती है। इस दौरान यदि पति के साथ उसके शारीरिक सम्बन्ध बनते हैं तो तलाक खत्म हो जाता है अन्यथा इद्दत की अवधि पूरी होने पर, महिला विवाह के बन्धन से मुक्त हो जाती है।

ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in May 2025

तलाक–ए–हसन इससे अलग है। इस प्रक्रिया में आदमी सिर्फ एक बार तलाक की घोषणा करता है, अगर अगले मासिक चक्र के बाद वह इसे तीन बार दोहराता है, तो तलाक प्रभावी हो जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात् पति–पत्नी के बीच का रिश्ता खत्म हो जाता है और वह एक–दूसरे से स्वतंत्र हो जाते है। इस्लाम तलाक–ए– अहसान और तलाक–ए–हसन दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन एक ही आदमी से दो पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगाता है। पहली घोषणा और इद्दत की अवधि पूरी होने के बाद, आदमी और औरत ताजा निकाह करके फिर से एक–दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तीन तलाक को पैगम्बर कभी भी स्वीकृति नहीं दिए थे। यह प्रक्रिया खलीफा उमर के शासनकाल के बाद शुरू हुई।

अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत पर हनफीवाद का वर्चस्व था। आधुनिक भारत में तीन तलाक का मामला 1985 से शुरू होकर 2019 तक यह लड़ाई चलती रही जिसमें अनेक पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

2011 जनगणना के आधार पर तलाकशुदा महिलाओं की संख्या मुसलमानों में ज्यादा है। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संख्या हिन्दुओं की की तुलना में दोगुना है। हिन्दुओं में तलाक के बजाय पत्नियों को छोड़ देने के मामले ज्यादा हैं। शादी करने वाली 1000 महिलाओं में 9.1 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं तलाकशुदा या पति से अलग हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी करने वाली 1000 महिलाओं में 11.7 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं तलाकशुदा या पति से अलग है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की संख्या **2001 के मुकाबले 2011 में 39 प्रतिशत बढ़ी है।** एन.जी.ओ. इण्डिया स्पेंट के किए गए समीक्षा के अनुसार भारत में एक मुस्लिम तलाकशुदा पुरूष पर चार तलाकशुदा महिलाएं हैं। भारत में तलाकशुदा महिलाओं में 23.3 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

कुरान इस्लाम में उपलब्ध विभिन्न तरह के तलाक का उल्लेख करती है– **तलाक के भी अन्य तरीकें हैं जैसे– खुला, लियन, जिहर** आदि इसके विभिन्न स्वरूप हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या **'बकराह'', ''निसा'', ''अजहब'', ''मुजादिला'', और 'तलाक' शीर्षक वाले अध्याय में गई है।** 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लमानों की कुल जनसंख्या 4.07 करोड़ है, 19.3 प्रतिशत इसी आँकड़े के मुताबिक अगर मुस्लिम जिले को देखा जाएं तो इसमें सर्वप्रथम स्थान **आजमगढ़ (27.40 प्रतिशत) का है।** इसके पश्चात् जौनपुर (26.30 प्रतिशत), सिद्धार्थनगर (26.30 प्रतिशत) और इसके बाद देवरिया (25.40 प्रतिशत) जिले का आँकड़ा आता है।

भारत में कुल मुस्लिमों की कुल जनसंख्या 21.12 करोड़ है, जिनमें 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का चुनाव के मतदान पर असर होना लाजिमी है। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, परन्तु आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए, जब धर्म में राजनीति और सरकारों के फैसलों को प्रभावित किया है।

इसी कड़ी में शाहबानों का केस आता है। शाहबानों केस, धर्म का राजनीति पर असर का एक बड़ा उदाहरण है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पक्ष में जब फैसला सुनाया, तो मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग को यह फैसला मुस्लिम अधिकारों के लिए एक खतरा जैसे दिखने लगा। 1973 में बने 'ऑल इण्डिया पर्सनल लॉ बोर्ड' ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया।

आखिरकार 1986 में राजीव गाँधी की सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरूओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार) संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

सायरा बानो के केस में राजनीतिक सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा था। कहते हैं–**''राजनीतिक दल कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से उसमें राजनीतिक हित जुड़ा होता है।''** बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन चुनाव में नहीं मिलता था। वह कई सालों से इसी कोशिश में थी कि इस समुदाय में भी वह अपनी बैठ बनाए। इसी का एक परिणाम कह सकते हैं, जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति ने तीन तलाक के मामले पर काम किया और संविधान में वर्णित **अनुच्छेद– 13(3)** के तहत इसे कानून के दायरे में लाया। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किए हैं जिनमें **अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21** और अनुच्छेद 25 आते हैं। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी के अर्न्तगत अनुच्छेद–44 को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो।

''राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक प्रक्रिया जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के

प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है।''

इसी परिप्रेक्ष्य में तीन तलाक को कानूनी रूप देने के लिए 25 जुलाई, 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 संसद से पास हुआ तथा 31 जुलाई, 2019 को राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त करने के पश्चात् कानूनी रूप से लागू हो गया।

निष्कर्ष –

''मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम'' 2019 का निष्कर्ष यह है कि तत्काल तीन तलाक, जिसे तलाक–ए–विद्दत कहा जाता है, को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया गया है। यह मुस्लिम महिलाओं को सशक्त होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है–

1. इस अधिनियम के तहत तुरन्त तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया चाहे वह मौखिक रूप में, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया है।
2. इस अधिनियम में तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की सज़ा हो सकती है।
3. इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है।
4. सन् 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, लेकिन इस अधिनियम ने कानूनी रूप से भी अवैध बना दिया है।
5. यह अधिनियम भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिनियम का निष्कर्ष यही है कि तत्काल तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया है और मुस्लिम महिलाओं को इस प्रथा से होने वाले नुकसान से बचाया जा रहा है। यह अधिनियम लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Ran-com.cdn.ampproject.org.
www.wikipedia.com
navbharattimes.indiatimes.com
www.bbc.com.cdn.ampproject.org.
www.mailtogulershad.medium.com
htttps://hindi.timeshownews.com
https://Navbharatitimes.indiatimes.com
राज्यसभा टी0वी0, 28 दिसम्बर, 2017, ट्रिपल तलाक बिल 2017
भारत की जनगणना 2011
भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, 31 जुलाई 2019

- **मिश्रा, राजेश,** राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन (7वॉ संस्करण), ओरियण्ट ब्लेकस्वाम प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, 2020, पृष्ठ–60
- **कुमार, डॉ0 निशू,** तीन तलाक, एक सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्श, प्रशान्त पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2018, पृष्ठ–8,16
- **जियाउस्लाम,** तीन तलाक (तलाक, तीन तलाक एवं खुला को जाने व समझे, प्रभात पेपर बैक्स, नई दिल्ली–2019, पृ0सं0 7)

एच0ए0, गनी, मुस्लिम पॉलिटिकल इश्यूज एण्ड नेशनल इण्टीग्रेशन, पृ0सं0 3 एम, लक्ष्मीकान्त (पॉचवॉ संस्करण) भारत की राजव्यवस्था, मैक्ग्रॉहिल प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ सं0 74.1

- **जेटली ममता**, आधी आबादी का संघर्ष, राजकमल प्रकाशन, 2006
- **गौतम हरेन्द्र राज,** महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र, 2000
- **यू.एन.एफ.पी.ए., वर्ल्ड** अपार्ट मेन एण्ड वीमेन इन ए टाइम ऑफ चेंज, 2000
- **वर्मा भावना,** भारत में महिलाओं के प्रति अपराध, हाइटेक प्रेस, 2002
- **एस. अभिलेख, शुक्ला** संख्या भारतीय नारी, कल और आज, गायत्री प्रकाशन, 2012
- **चौधरी नेहा,** नारी देह के विरूद्ध हिंसा, सेज प्रकाशन, 2019
- **शर्मा क्षमा,** औरतें और आवाजें, आलेख प्रकाशन, 2005

- **काश्तवार रेखा,** स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, 2006
- **जगमोहन, डॉ0 पी0वी0,** तीन तलाक, प्रभात प्रकाशन, 2018
- **खुर्शीद, सलमान,** तीन तलाक, आस्था की छानबीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इण्डिया, 2018
- **सदरूश शरीया मौलाना अमजद अली आजमी रजबी अलैहिर्रहमह,** इस्लामी अखलाक–ओ–आदाब, आलाहज़रत दारूल कुतुब, इस्लामिया मार्किट, बरेली सरीफ।
- **शर्मा, ऊर्षा,** कल्चरल एण्ड रिलिजियस हेरीटेज ऑफ इण्डिया : इस्लाम, मित्तल पब्लिकेशन्स, 2004
- **मित्तल, डॉ0ए0के0,** भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (1200 ई0 – 1900 ई0), साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
- **शर्मा, एल0पी0,** दिल्ली सल्तनत (700–1526 ई0), लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2014।
- **शर्मा, एल0पी0,** मुगलकालीन भारत (1526–1858 ई0) लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2010
- **मेनन निवेदिता,** आर्या साधना, लोकनीता जिन्नी, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013
- **व्यास जयप्रकाश,** नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, 2003
- **सिंह करण बहादुर,** महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण बुक एनक्लेव, 2006
- **डॉ राजकुमार,** नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005
- **आर.एस.जैन,** फैमिली वायलेंस इन इण्डिया, रेडिएण्ट नई दिल्ली, 1992
- **मधुरिया ए0 महाजन एण्ड ओ0,** फैमिली वायलेंस एण्ड एब्यूस इन इण्डिया, डीप एण्ड डीप पब्लिकेशन, 1989
- **जैन अरविंद,** औरत होने की सजा, राजकमल प्रकाशन, 2006
- **वर्मा रंजीत,** बलात्कार और कानून, राधाकृष्णन प्रकाशन, 2006
- **अमीन फरजाना,** मुस्लिम पुरूष पोषक या शोषक पृष्ठ0 सं0 143
- **हिना जाहिदा,** पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष पृष्ठ सं0 149
- **हसन जोया, हंस,** भारतीय मुसलमान अंक, अगस्त 2003